

12/21

वकील फरिक्तेन उप०। पत्रावली पूर्वी०  
दि० २०/12/२१ को पेश हो  
हो।

२०/१२/२१

वकील फरिक्तेन उप०। प्रा० पत्र अंतर्गत धारा  
136 LR अंतर्गत खारिज हो चुका है। अतः  
प्रा० पत्र स्मरहीन होने के कारण खारिज  
किया जाता है। पूर्व में जारी T.I. खारिज  
की जाती है। पत्रावली दाखिल दफतर  
हो।

उपखण्ड अधिकारी  
पहाड़ी (भरतपुर)